



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60860

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6282/2026

जीतू अहिरवार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : जयसिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए., वेद प्रकाश ओझा

न्यायालय संख्या- 65

(307 में से क्रम संख्या @@)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित कर दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दायर किया गया पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जयसिंह यादव और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश ओझा के साथ-साथ राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया और अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 190/2025, बीएनएस अधिनियम की धारा 137(2), 65(1) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पुलिस स्टेशन-नाराहट, जिला-ललितपुर में जमानत की मांग करता है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में बताए गए अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि पीड़िता की सहमति थी, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह अपने घर से 50,000/- रुपये नकद और आभूषण ले गई है। पीड़िता की सहमति उसके बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज बयान से भी निकाली जा सकती है, जिसमें उसने कहा है कि वह आवेदक से प्यार करती थी। उसने आगे कहा है कि वह आवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि दो किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते के मामले को यहां शिकायतकर्ता ने आपराधिक मामले में बदल दिया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता दिखने में बालिग लगती है, हालांकि कक्षा 9 के स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार, उसकी उम्र 14 साल और 9 महीने बताई गई है। यह बहस की गई है कि किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 94 के आलोक में उक्त प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक को सौंपे गए तीन मामलों का आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है। आवेदक 13.11.2025 से जेल में है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. दूसरी ओर, एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत अर्ज़ी का इस आधार पर पुरज़ोर विरोध किया कि पीड़ित नाबालिग थी और उसकी उम्र ही आवेदक की ज़मानत खारिज करने का एक सही आधार है।

9. पीड़ित के नौवीं कक्षा का स्कूल प्रमाणपत्र यानी बताए गए दस्तावेज़ पर सुप्रीम कोर्ट के **पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक द्वारा, एआईआर 2023 एससी 3525**, में दिए गए फैसले को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि पीड़ित के जन्म से जुड़े अभिलेख न होने पर, संबंधित परीक्षा बोर्ड से हाईस्कूल या उसके बराबर का प्रमाणपत्र या किसी निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत से मिले प्रमाणपत्र के अलावा किसी और अभिलेख पर पीड़ित की उम्र का पता लगाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

10. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामले लंबित होने मात्र से ही ज़मानत अस्वीकार नहीं की जा सकती।

11. मामले के तथ्य और परिस्थितियां, हालात, दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें, जुर्म का प्रकार, सज़ा की गंभीरता, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बताए गए फैसले और इस बात पर भी ध्यान देते हुए कि पीड़ित अपने घर से गहने और नगद ले गई थी और पीड़ित का वीएनएस की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया बयान, जिससे साफ तौर पर उसकी सहमति का इशारा मिलता है, मुझे प्रथमदृष्टया यह आवेदन को जमानत पर रिहा करने का सही मामला लगता है। जमानत आवेदन **मंज़ूर** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. आवेदक जीतू अहिरवार को व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते ज़मानतदारों का सत्यापन हो जाए, इस शर्त के साथ कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को धमकाएगा नहीं और आवश्यकतानुसार विचारण न्यायालय में पेश होगा।

13. किसी भी शर्त के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ज़मानत रद्द हो जाएगी। यहां की टिप्पणियां गुण-दोष के आधार पर मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

24 मार्च 2026

सिद्धान्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”